50वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक साधारण सभा
बुधवार 22 सितम्बर, 2021, दोपहर 12.00 बजे

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल

ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल-462039

फोन : 0755-2926160, 2926159

Website : www.mpscu.in, E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

50वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 22 सितम्बर 2021, दिन बुधवार
समय : दोपहर 12:00 बजे

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल-462039
फोन : 0755-2926160, 2926159
Website : www.mpscu.in, E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
ई–8/77, शाहपुरा, भोपाल

क्रमांक/मीटिंग/आमसभा/2021/278 **भोपाल, दिनांक** 08-09-2021

पंजीकृत डाक से
सूचना पत्र

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रतिनिधि

1. अ–जिला सहकारी संघ मर्यादित, म.प्र. समस्त

   ब–क्षेत्रीय सहकारी संस्थायें, म.प्र. समस्त

   स–जिला स्तरीय सहकारी संस्थायें, म.प्र. समस्त

   द–शीर्षस्थ सहकारी संस्थाएं म.प्र. समस्त

   इ–अन्य सदस्य सहकारी संस्थायें म.प्र. समस्त
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग

   एवं प्राधिकृत अधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल
4. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.

महोदय,

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 22 सितंबर 2021 दिन बुधवार को समय दोपहर 12.00 बजे, संघ कार्यालय ई–8/77, शाहपुरा, भोपाल में आयोजित की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। साधारण सभा में निम्न विषयों पर विचार–विमर्श किया जावेगा :–

विषय क्रमांक–1: **म.प्र. राज्य सहकारी संघ का वर्ष 2020–21 के वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन।**

विषय क्रमांक–2: **वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्यक्रमों का अवलोकन एवं अनुमोदन।**

विषय क्रमांक–3: **वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति।**

विषय क्रमांक–4: **वर्ष 2020–21 के वित्तीय पत्रक पर विचार।**

विषय क्रमांक–5: **वर्ष 2021–22 के लेखाओं की संपरीक्षा हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1)(क) के द्वितीय परंतुक अनुसार कारोबार की जानकारी भेजने बाबत विचार।**

विषय क्रमांक–6: **वर्ष 2020–21 के आय के आधिक्य में से निधियों में हस्तातंरित की गई राशियों का अनुमोदन।**

विषय क्रमांक–7: **सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल से भवन विवाद के संबंध में**

विषय क्रमांक–8: **राज्य सहकारी विपणन संघ से अंशदान भुगतान संबंधी प्रकरण न्यायालय से वापिस लेने के संबंध में विचार।**

विषय क्रमांक–9 **अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

गणपूर्ति के अभाव में उपनियम के अंतर्गत बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी दिन, उसी स्थान पर, निर्धारित विषयों के विचारार्थ दोपहर 12.30 बजे प्रारंभ होगी जिसमें, गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(ऋतुराज रंजन)
प्रबंध संचालक

नोट :–

1. आमसभा में भाग लेने हेतु संस्था से प्रतिनिधि पद का अधिकार पत्र साथ लाने का अनुरोध है।
2. आमसभा में उपस्थित होने के लिए संघ व्दारा यात्रा अथवा अन्य किसी तरह के व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3 कोविड 19 के संक्रमण को दृष्टिगत केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देश/गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा

अध्यक्षीय उद्बोधन

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ ने अपने सीमित संसाधनों एवं कोविड 19 महामारी के बावजूद वर्ष 2020–21 के प्रशिक्षण में, लीक से हटकर, आनलाइन प्रशिक्षण दिए जाने के प्रयास किये है, सफलताएं भी मिली हैं।

वर्ष 2020–21 के महत्वपूर्ण कार्य

1. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आत्म निर्भर भारत योजना अन्तर्गत पैक्स एवं विपणन समितियों को बहुसेवा एवं बहुउद्देशीय बनाने हेतु वेबीनार आधारित प्रशिक्षण आयोजित कर 1500 प्रशिक्षित किये गये।
2. धान उपार्जन 2020 नीति अनुबंध प्रक्रिया, भुगतान, भण्डारण एवं बिल दावों का प्रस्तुतीकरण हेतु वेबीनार आधारित प्रशिक्षण आयोजित कर 1000 प्रशिक्षित किये गये।
3. सहकारिता विभाग के न्यायिक अधिकारियों हेतु पारदर्शी न्याय प्रक्रिया एवं मापदण्ड विषय पर वेबीनार आधारित प्रशिक्षण एवं सहकारी समितियों का आनलाईन पंजीयन, व्यक्तित्व विकास एवं प्रभावी सम्प्रेषण , कोरोना बाद की चुनौतियां वित्तीय प्रबंध एवं निवेश, महिलाओं के समक्ष कोरोना बाद की चुनौतियां, कार्य संतुलन एवं वित्तीय प्रबंध आदि विभिन्न विषयों पर आयोजित किया गया।
4. अंतराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई 2020 विषय– ''पर्यावरण हेतु सहकारी सकियता'' पर संगोष्ठी का आयोजन।
5. 67वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन (केन्द्रीय विषय कोविड–19 महामारी आत्म निर्भर भारत हेतु सहकारिता) कोविड–19 उपरांत सहकारिताओं की भूमिका विषय पर आयोजित किया गया।
6. कोविड 19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में संपूर्ण देश में लाकडाउन एवं प्रशिक्षण संस्थान अधिकांश समय बंद रहे। सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण की योजना के तहत प्रशिक्षण लक्ष्य के विरूद्ध 3514 को प्रशिक्षित किया गया।
7. विभिन्न सहकारी संस्थाओं में प्रावधानित प्रशिक्षण निधि का 20 प्रतिशत राज्य सहकारी संघ को भुगतान किया गया।
8. सशुल्क प्रशिक्षणों से प्राप्त आय की वजह से 6.16 लाख आय का आधिक्य रहा जिसमें से 5.12 लाख का विभिन्न मदों में प्रावधान किया गया तथा वर्षांत पर 1.04 लाख आय का आधिक्य रहा।
9. राज्य संघ व्दारा संचालित एच.डी.सी.एम. के ऑनलाईन संचालन हेतु राज्य संघ व्दारा पोर्टल http://mpscuonline.in का निर्माण कराया गया।
10. राज्य संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को ई–ऑफिस प्रणाली से युक्त करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। ई–ऑफिस प्रणाली से कार्य निष्पादन में पारदर्शिता आने के साथ–साथ कार्यालयीन कार्यों में भी गति मिलेगी।

वर्ष 2021—22 के प्रस्तावित कार्यक्रम

1. शिक्षा प्रशिक्षण की योजना अंतर्गत 30160 को प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित ।
2. एच.डी.सी.एम. का आनलाईन प्रशिक्षण तथा परीक्षा का क्रियान्वयन।
3. ट्रेजरी के सॉफ्टवेयर आई.एफ.एम.एस. का सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण।
4. समितियों का आनलाइन पंजीयन पर प्रशिक्षण।
5. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के आर्थिक सहयोग से राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय सेमीनार तथा महिला एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के संचालकों हेतु 3—3 दिवस के प्रशिक्षण का आयोजन।
6. कम्प्यूटर संबंधी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षणों का आयोजन।
7. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर हेतु जबलपुर के कंटगा में संघ की स्वयं की भूमि पर भवन निधि में उपलब्ध राशि से निर्माण।
8. संघ द्वारा प्रशिक्षित (तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता युक्त मानव संसाधन) सेवा प्रदाता/आऊटसोर्स एजेंसी के रूप में कार्य प्रारंभ कर अतिरिक्त आय का सृजन करना।

अजीत केसरी
IAS
अपर मुख्य सचिव, सहकारिता
एवं प्राधिकृत अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
विषय क्रमांक–1:	म.प्र. राज्य सहकारी संघ का वर्ष 2020–21 के वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन।	8–13
विषय क्रमांक–2:	वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्यक्रमों का अवलोकन एवं अनुमोदन।	14–16
विषय क्रमांक–3:	वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति।	17–20
विषय क्रमांक–4:	वर्ष 2020–21 के वित्तीय पत्रक पर विचार।	21–25
विषय क्रमांक–5:	वर्ष 2021–22 के लेखाओं की संपरीक्षा हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1)(क) के द्वितीय परंतुक अनुसार कारोबार की जानकारी भेजने बाबत विचार।	26
विषय क्रमांक–6:	वर्ष 2020–21 के आय के आधिक्य में से निधियों में हस्तांतरित की गई राशियों का अनुमोदन।	26
विषय क्रमांक–7:	सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल से भवन विवाद के संबंध में	27
विषय क्रमांक–8:	राज्य सहकारी विपणन संघ से अंशदान भुगतान संबंधी प्रकरण न्यायालय से वापिस लेने के संबंध में विचार।	28

विषय क्रमांक–1 : मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ का वर्ष 2020–21 के वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन।

टिप्पणी : (1) वर्ष 2020–2021 में शिक्षा प्रशिक्षण योजना अंतर्गत लक्ष्य पूर्ति

वर्ष 2020–21 में कोरोना महामारी के परिणामस्वरूप लम्बे समय तक समस्त शासकीय व निजी कार्यालय बन्द रहे जिसका संघ की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई। शासन के निर्देशा–नुसार कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण संस्थान बंद रहे/ लॉकडाउन रहा/ प्रशिक्षण स्थगित रहे जिस कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन वेबीनार के माध्यम से किया गया। विशेषतःआत्मनिर्भर भारत योजना संबंधी वेबीनार आधारित प्रशिक्षणों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वेबीनार आधारित प्रशिक्षण की विषय वस्तु	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या/प्रशिक्षण सत्र संख्या
1.	आत्म निर्भर भारत योजना अन्तर्गत पैक्स एवं विपणन समितियों को बहुसेवा एवं बहुउद्देश्य बनाने हेतु वेबीनार आधारित प्रशिक्षण प्रथम चरण	11.8.20 13.8.20 14.8.20	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, उपायुक्त/ सहायक आयुक्त सहकारिता, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ के सचिव, जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के मुख्य कार्य– पालन अधिकारी, पैक्स समितियों एवं विपणन एवं पक्रिया इकाईयों के प्रबंधक इत्यादि	300/3
2.	आत्म निर्भर भारत योजना अन्तर्गत पैक्स एवं विपणन समितियों को बहुसेवा एवं बहुउद्देश्य बनाने हेतु वेबीनार आधारित प्रशिक्षण व्दितीय चरण	24.8.20 25.8.20 26.8.20 28.8.20 27.8.20 29.8.20	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, उपायुक्त/ सहायक आयुक्त सहकारिता, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ के सचिव, जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के मुख्य कार्य– पालन अधिकारी, पैक्स समितियों एवं विपणन एवं पक्रिया इकाईयों के प्रबंधक इत्यादि	600/6
3.	आत्म निर्भर भारत योजना के तहत अंकेक्षण वर्गीकरण/ उन्मुखीकरण	7.9.20 8.9.20	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, उपायुक्त/ सहायक आयुक्त सहकारिता, अंकेक्षण अधिकारी एवं जिला अधिकारी व्दारा चिन्हित अंकेक्षक	400/4
4.	आत्म निर्भर योजना अन्तर्गत पैक्स एवं विपणन समितियों के लिए कृषक सेवा केन्द्र एवं ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म की गतिविधियां	15.9.20	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, उपायुक्त/ सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के मुख्य कार्य–पालन अधिकारी, चयनित सहकारी संस्थाओं के प्रबंधक	200/2

5.	धान उपार्जन 2020 नीति अनुबंध प्रक्रिया, भुगतान, भण्डारण एवं बिल दावों का प्रस्तुतीकरण	24.9.20 25.9.20 26.9.20 28.9.20 29.9.20 30.9.20 1.10.20 3.10.20 5.10.20 6.10.20	उपायुक्त / सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के मुख्य कार्य– पालन अधिकारी एवं उपार्जन हेतु संबंधित चिन्हित संस्थाओं के प्रबंधक हेतु।	1000 / 10
6.	सहकारिता विभाग के न्यायिक अधिकारियों हेतु पारदर्शी न्याय प्रक्रिया एवं मापदण्ड विषय पर वेबीनार आधारित प्रशिक्षण	15.10.20 16.10.20	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, उपायुक्त / सहायक आयुक्त सहकारिता, अंकेक्षण अधिकारी, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, स्टेनों, उप अंकेक्षक / रीडर, सहायक ग्रेड– 1,2 एवं 3, कम्प्यूटर आपरेटर	73 / 2
7	आत्म निर्भर मध्यप्रदेश	19.02.21	संयुक्त / उप / सहायक आयुक्त सहकारिता एवं जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्य पालन अधिकारी	50 / 1
8	पोस्ट ग्रजुएशन डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी ए.)	1 वर्षीय	सदस्य एवं संभावी सदस्य	21 / 2
9	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी ए.)	1 वर्षीय	सदस्य एवं संभावी सदस्य	14 / 2
	योग			**2658 / 32**

संघ द्वारा वर्ष 2020–21 में आयोजित क्लासरूम आधारित प्रशिक्षणों की जानकारी

क.	क्लासरूम आधारित प्रशिक्षण की विषय वस्तु	दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण	प्रशिक्षित प्रतिभागियों कीसंख्या / प्रशिक्षण सत्र संख्या
1	सहकारी समितियों का आनलाईन पंजीयन प्रशिक्षण	20.10.20 21.10.20 22.10.20	उपायुक्त / सहायक आयुक्त सहकारिता, अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक, सहायक ग्रेड– 1, 2 एवं 3, कम्प्यूटर आपरेटर,	64 / 3
2	व्यक्त्वि विकास एवं प्रभावी सम्प्रेषण	31.12.20	संघ मुख्यालय एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द के अधिकारी / कर्मचारी	24 / 1
3	कोरोना बाद की चुनौतियां वित्तीय प्रबंध एवं निवेश	04.02.21 05.02.21	सहकारिता विभाग के विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों	54 / 2

4	महिलाओं के समक्ष कोरोना बाद की चुनौतियां, कार्य संतुलन एवं वित्तीय प्रबंध	12.02.21	सहकारिता विभाग की विभागीय महिला अधिकारी एवं कर्मचारी	45/1
5	आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना के तहत चयनित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संस्था प्रबंधक सहायक प्रबंधकों की DPR आधारित तकनीकी प्रशिक्षण	01.03.21 से 03.03.21 तक 04.03.21 से 06.03.21 तक 08.03.21 से 10.03.21 तक 15.03.21 से 17.03.21 तक 18.03.21 से 20.03.21 तक	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संस्था प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधकों हेतु	144/5
6	अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु कार्यालयीन एव प्रशिक्षण कौशल विकास प्रबंधन	12.03.2021	संघ मुख्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी	27/1
7	आत्म निर्भर मध्यप्रदेश व सहकारिता	17.03.2021 18.03.2021	सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी /जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी	56/3
8	प्रशिक्षण निधि का श्रृजन एवं संघ को भुगतान तथा सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराऐं	15.03.2021	सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी	24/1
9	राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति की महिलाओं, पदाधिकारी एवं सदस्यों के लिये लेखा एवं सहकारी विधान	22.03.2021 23.03.2021	संस्था की अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्यों	68/2
10	67 वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह	14.11.2020से 20.11.2020 तक	कोरोना महामारी– आत्मनिर्भर भारत सहकारिता	350/7
योग				**856/26**

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन की योजना 3350

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	वार्षिक लक्ष्य		पूर्ति	
			प्रशिक्षण सत्र संख्या	प्रतिभागी	सत्र संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागी संख्या
1	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	5 दिवसीय	3	100	–	–
2	समितियों के संचालक	5 दिवसीय	1	30	–	–
3	समिति प्रबंधक	3 दिवसीय	40	1220	–	–
4	प्रबंधकारिणी	2 दिवसीय	40	1080	–	–
5	सदस्य एवं संभावी सदस्य को प्रशिक्षण	1 दिवसीय	812	24400	28	2623
6	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए)	1 वर्ष	2	100	2	21
7	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए)	1 वर्ष	2	100	2	14
8	सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (HDCM)	20 सप्ताह	8	240	–	–
	योग		**908**	**27270**	**32**	**2658**

राज्य सहकारी संघ के गठन की योजना 3699

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	वार्षिक लक्ष्य		पूर्ति	
			प्रशिक्षण सत्र संख्या	प्रतिभागी	सत्र संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागी संख्या
1	समिति प्रबंधक	3 दिवसीय	21	610	5	144
2	प्रबंधकारिणी	2 दिवसीय	16	540	–	–
3	सदस्य एवं संभावी सदस्य को प्रशिक्षण	1 दिवसीय	405	12210	21	712
	योग		**442**	**13360**	**26**	**856**

योजना का नाम	लक्ष्य		पूर्ति	
	प्रशिक्षण सत्र संख्या	प्रतिभागी	सत्र संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागी संख्या
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन की योजना 3350	908	27270	32	2658
राज्य सहकारी संघ के गठन की योजना 3699	442	13360	26	856
योग	**1350**	**40630**	**58**	**3514**

(स) प्रकाशन, प्रचार–प्रसार व अन्य अंतर्गत किये गये कार्यः–

सहकारी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना संघ का एक महत्वपूर्ण दायित्व है जिसका निर्वहन योजनाबद्ध तरीके से किया गया एवं निम्नानुसार गतिविधियों से लक्षित वर्गों को लाभान्वित किया गया

1. म.प्र. सहकारी समाचार ''पाक्षिक'' का नियमित प्रकाशन। वर्ष में 24 अंक प्रकाशित किये गये।
2. अंतराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई 2020 विषय– ''पर्यावरण हेतु सहकारी सक्रियता'' पर संगोष्ठी का आयोजन।
3. 67वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन (केन्द्रीय विषय कोविड–19 महामारी आत्म निर्भर भारत हेतु सहकारिता) कोविड–19 उपरांत सहकारिताओं की भूमिका विषय पर आयोजित किया गया।

(द) कम्प्यूटर प्रशिक्षण

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल व्दारा सम्बद्धता प्राप्त पी.जी.डी. सी.ए. पाठ्यक्रम संघ मुख्यालय एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में संचालित किया जा रहा है। सत्र जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 में प्रवेश की स्थिति निम्नानुसार हैः–

	पीजीडीसीए		डीसीए		कुल प्रशिक्षणार्थी संख्या
	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर	सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर	सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	
जुलाई 2000	11	7	6	7	31
जनवरी 2021	0	3	0	1	4
कुल प्रशिक्षणार्थी	11	10	6	8	35

अधोसंरचना विकास

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की आवासीय एवं भोजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए संघ की भूमि पर अस्थायी शेड का निर्माण कर एक अस्थायी रसोई घर का निर्माण किया गया।

अभिदाय–अंशदान–

सहकारिता अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत संघ की आय का एक मुख्य स्त्रोत संस्थाओं से प्राप्त होने वाला अभिदाय अंशदान है जो संघ को नियमित रूप प्राप्त नहीं होने के कारण संघ की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः प्रमुख सचिव सहकारिता का सहयोग प्राप्त कर वर्ष में 3 राज्य स्तरीय बैठकों का आयोजन समस्त संस्थाओं को लंबित अभिदाय एवं अंशदान के साथ संस्थाओं में उपलब्ध प्रशिक्षण निधि की 20प्रतिशत राशि तत्काल भुगतान करने हेतु आयुक्त सहकारिता के माध्यम से निर्देश जारी कराया गया।परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ को वर्ष 2020–21 में अभिदाय एवं अंशदान की राशि रू. 1,00,13,216 एवं प्रशिक्षण निधि की राशि रू. 1,06,88,938 प्राप्त हुई है।

आई.सी.एम. संपत्ति विवाद समाधान –

संघ भवन में आई.सी.एम. द्वारा वर्षों से अनुबंध के विपरीत किये जा रहे कार्यों एवं संघ भवन पर मालीकाना हक प्राप्त करने के प्रयासो के विरूद्व सक्षमता से संघ का पक्ष शासन एवं भारत सरकार के समक्ष रखा गया जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार व्दारा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उभय पक्षों के बीच सुलह की पेशकस की गई है जिसका कियान्वयन प्रकियाधीन है।

नवाचार

1. राज्य संघ व्दारा संचालित एच.डी.सी.एम. के ऑनलाईन संचालन हेतु राज्य संघ द्वारा पोर्टल http://mpscuonline.in का निर्माण कराया गया। पोर्टल से संबंधित कार्य किया गया एवं संघ के कर्मचारियों को पोर्टल से संबंधी जानकारी देने हेतु एक–एक दिवसीय विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम पोर्टल निर्माण करने वाली संस्था के सहयोग से कराये गये। संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों की पोर्टल से संबंधी शंकाओं का समाधान करने की प्रकिया सतत् अग्रसर है।

2. राज्य संघ व्दारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को ई–ऑफिस प्रणाली से युक्त करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। ई–ऑफिस प्रणाली से कार्य निष्पादन में पारदर्शिता आने के साथ–साथ कार्यालयीन कार्यों में भी गति मिलेगी, इस उद्देश्य से राज्य संघ के अधिकारियों व कर्मचारियों को एन.आई.सी व्दारा आयोजित कार्यशाला के अंतर्गत ई–ऑफिस प्रणाली पर एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–2 : वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्यक्रमों का अवलोकन एवं अनुमोदन

टिप्पणी :

वार्षिक प्रशिक्षण लक्ष्य (2021–2022)

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	वर्ष का कुल लक्ष्य	
			लक्षित प्रशिक्षण सत्र संख्या	लक्षित प्रतिभागी
1	सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (HDCM) आनलाइन	20 सप्ताह	6	360
2	पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन	5 दिवसीय	6	200
3	समिति प्रबंधक, विभाग एवं संस्था के कर्मचारियों, समिति के संचालकों हेतु विभिन्न विषयों पर एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण	3 दिवसीय	48	1440
4	प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्यों हेतु समिति के संचालन संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण	2 दिवसीय	104	3120
5	सदस्य एवं संभावी सदस्यों तथा कर्मचारी को प्रासंगिक विषयों तथा कार्य से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कम्प्यूटर संबंधी विषय ,सायबर अपराध तथा उससे सुरक्षा उपाय, नवाचार	1 दिवसीय	826	24780
6	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन(पी.जी.डी.सी.ए)	1 वर्ष	2	100
7	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए)	1 वर्ष	2	70
8	अध्ययन भ्रमण	1 सप्ताह	2	90
		योग	**996**	**30160**

नोट– कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रशिक्षण लक्ष्यों की पूर्ति वेबीनार के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रकाशन, प्रचार–प्रसार की योजना में वर्ष 2021–2022 में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:–

1. म.प्र. सहकारी समाचार ''पाक्षिक'' का नियमित तथा विशेष अवसर पर विशेषांक का प्रकाशन।
2. विभिन्न सहकारिताओं, सहकारिता की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित फोल्डर/पोस्टर का प्रकाशन।
3. जिला/संभाग/राज्य स्तरीय सम्मेलन/सेमीनार का आयोजन तथा विभिन्न अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन।
4. सहकारी सप्ताह तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन।
5. प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अन्य प्रदेशों की सफल सहकारी सोसायटियों के अध्ययन हेतु अध्ययन भ्रमण आयोजित करना।
6. सहकारिता आयुक्त के निर्देश पर सहकारिता से संबंधित अन्य प्रकाशन।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण अंतर्गत वर्ष 2021–22 में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:–

1. संस्थागत/विभागीय कर्मचारियों हेतु सशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
2. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. पाठयक्रम का संचालन केन्द्र भोपाल एवं केन्द्र इन्दौर में करना।
3. एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं अंतर्गत सशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों व अन्य सहकारी संस्थाओं में सायबर क्राईम व ई–कोआपरेटिव विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन करना।
4. स्वाध्यायी छात्रों हेतु अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. आनलाइन सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था।
6. वेबसाईट संबंधी कार्य करना।

मानव संसाधन प्रतिपूर्ति–

प्रदेश की सहकारी संस्थाओं एवं विभाग को दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ कंसल्टिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने की दिशा में अग्रसर है। संस्थाओं में निरंतर सेवानिवृत्ति एवं कई वर्षों से भर्ती न होने से मानव संसाधनों की कमी के कारण समितियों के कार्यों में कठिनाई एवं उनकी गुणवत्ता में कमी आई है। बाहरी संस्थाओं से आउटसोर्स करने पर सर्विस चार्ज अधिक देना पड़ता है। इसकी पूर्ति शीर्ष सहकारी संघ द्वारा किए जाने की स्थिति में सहकारिता की भावना के साथ साथ दक्ष मानव संसाधन की पूर्ति भी सुनिश्चित होने के साथ साथ संघ भी आत्म निर्भर हो सकेगा। तत्संबंधी प्रस्तावआयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश को प्रेषित किया गया है।

विभागीय एवं संस्थाओं के कार्य संचालन के मैन्युअल का निर्माण एवं प्रकाशन।

राज्य सहकारी संघ व्दारा म.प्र. शासन सहकारिता विभाग के निर्देशों के परिपालन में विभागीय कार्य मैन्युअल, सहकारी पुस्तक परिपत्र एवं सहकारी संस्थाओं के कार्य संचालन मैन्युअल के निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिसमें विभागीय कार्य मैन्युअल का मुद्रण एवं वितरण आयुक्त सहकारिता के अनुमोदन से किया जा रहा है। प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है। पैक्स कार्य संचालन मैन्युअल एवं सहकारी पुस्तक परिपत्र का कार्य अंतिम चरण में है।

भवन— संघ के भवन भोपाल का मरम्मत कार्य, इंदौर केन्द्र का मरम्मत एवं रखरखाव ,केन्द्र नौगांव में बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं जबलपुर केन्द्र में भवन निर्माण का कार्य इस बर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। पंजीयक के आदेशानुसार सदस्य सहकारी संस्थाओं की प्रशिक्षण निधि में प्रावधानित राशि का 20 प्रतिशत राज्य सहकारी संघ को भुगतान किया जाना है। इस राशि का 50 प्रतिशत संघ को अधोसंरचना विकास पर व्यय करना होगा।

विषय क्रमांक–3: वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति

टिप्पणीः वर्ष 2020–21 का प्रावधानिक बजट एवं वास्तविक व्यय राशि तथा वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 का प्रस्तावित बजट निम्नानुसार है –

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.	मद का नाम	प्रावधान राशि 2020-2021	वास्तविक राशि 2020-2021	प्रावधान राशि 2021-2022	प्रावधान राशि 2022-2023
	आय मद –				
1	**अभिदाय एवं अंशदान**				
	अ. अभिदाय	10.00	73.97	50.00	50.00
	ब. अंशदान	45.00	26.16	30.00	30.00
	योग	**55.00**	**100.13**	**80.00**	**80.00**
2	**आय प्रकाशन–**				
	अ. पाक्षिक पत्रिका	1.00	0.02	1.00	1.00
	ब.विज्ञापन शुल्क	4.30	3.76	4.50	4.50
	स.अन्य प्रकाशन	20.00	0.57	12.00	12.00
	योग	**25.30**	**4.35**	**17.50**	**17.50**
3	**ब्याज एवं लाभांश**				
	अ. अमानतों पर ब्याज	60.00	42.87	45.00	45.00
	ब. हिस्सों पर लाभांश	0.05		0.05	0.05
	स. अग्रिमों पर ब्याज	0.05	0.001	0.05	0.05
	योग	**60.10**	**42.87**	**45.10**	**45.10**
4	**विविध आय**				
	अ.प्रशिक्षण शुल्क	35.00	13.79	30.00	30.00
	ब.विविध एवं भवन किराया	20.00	20.40	25.00	25.00
	योग	**55.00**	**34.19**	**55.00**	**55.00**
5	**कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना**	**6.00**	**2.69**	**4.00**	**4.00**
6	**मानव संसाधन की प्रतिपूर्ति**	**200.00**		**200.00**	**200.00**
7	**कौशल उन्नयन प्रशिक्षण**	**05.00**	**7.76**	**0.00**	**0.00**
8	**प्रशिक्षण प्रबंधन आय**		**106.89**	**100.00**	**100.00**
9	**शासकीय अनुदान**				
	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन की योजना	250.00	100.00	230.00	230.00
	राज्य /जिला सहकारी संघ के गठन की योजना	60.00	18.08	45.00	45.00
	योग	**310.00**	**118.08**	**275.00**	**275.00**
	महायोग आय			**676.60**	**676.60**

क्र.	मद का नाम प्रबंधकीय व्यय	प्रावधान राशि 2020-2021	वास्तविक राशि 2020-2021	प्रावधान राशि 2021-2022	प्रावधान राशि 2022-2023
1	प्रबंधकीय वेतन अधिकारी, कर्मचारी	9.00	117.94	18.00	18.00
2	अध्यक्ष कार्यालय	2.00		2.00	2.00
3	आकस्मिक व्यय	4.00	2.98	6.00	6.00
4	किराया कर एवं विद्धुत	4.50	3.50	5.00	5.00
5	डाक तार एवं टेलीफोन	2.00	1.61	2.50	2.50
6	मुद्रित फार्म स्टेशनरी	2.00	0.75	2.50	2.50
7	वाहन चालन व्यय	6.00	5.24	8.00	8.00
8	बैठक व्यय	1.00		1.00	1.00
9	आमसभा व्यय	0.50	0.77	2.00	2.00
10	अंकेक्षण शुल्क	0.28	0.31	0.40	0.40
11	बैंक कलेक्शन चार्ज	0.20	0.02	0.20	0.20
12	यात्रा भत्ता संचालक मण्डल	0.25		0.50	0.50
13	उपस्कर उपकरण (मरम्मत)	0.50	0.23	1.00	1.00
14	उपस्कर उपकरण कय	2.00	0.36	5.00	5.00
15	राष्ट्रीय सह.संघ को चंदा	0.30	0.25	0.30	0.30
16	अध्ययन भ्रमण	0.50		0.50	0.50
17	अवक्षयण	10.00	8.85	10.00	10.00
18	वर्दी	0.50		0.50	0.50
19	सम्मेलन सेमीनार व्यय गोष्ठी आदि	2.00		3.00	3.00
20	विधि व्यय	1.00	1.43	2.00	2.00
21	जी.एस.टी	0.50	0.33	3.50	3.50
22	ऋणों पर ब्याज	0.85	0.89	1.00	1.00
23	कर्मचारी कल्याण कोष	0.45	0.38	0.50	0.50
	योग	**50.33**	**145.84**	**75.40**	**75.40**

2.	व्यय प्रकाशन मद का नाम	प्रावधान राशि 2020-2021	वास्तविक राशि 2020-2021	प्रावधान राशि 2021-2022	प्रावधान राशि 2022-2023
	अ– पाक्षिक पत्रिका	8.00	5.94	8.45	8.45
	ब–समाचार पत्र पत्रिकाएं	0.25	0.50	0.25	0.25
	स–अन्य प्रकाशन	20.00	1.99	7.00	7.00
	योग	**28.25**	**8.43**	**15.70**	**15.70**
3.	**प्रचार–प्रसार व्यय**				
	अ–प्रचार व्यय	1.00	3.56	1.00	1.00
	ब–सहकारी सप्ताह सम्मेलन	0.40	0.10	1.00	1.00
	योग	**1.40**	3.66	**2.00**	**2.00**
4	**भवन व्यय**				
	अ–भवन रखरखाव	18.00	16.54	22.00	22.00
	ब–भू–भाटक	0.50	0.83	0.50	0.50
	स–सम्पत्ति कर,जल कर,बीमा	3.00	2.70	4.00	4.00
5	**कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना**	5.00	4.58	7.00	7.00
6	**विविध प्रशिक्षण**	18.00	5.34	21.00	21.00
7	**कौशल उन्नयन प्रशिक्षण**	5.00	0.71	0.00	0.00
8	**मानव संसाधन की प्रतिपूर्ति**	193.00		194.00	194.00
9	**प्रशिक्षण प्रबंधन आय से अधोसंरचना विकास**	0.00	0.00	50.00	50.00
10	**शासकीय योजनान्तर्गत व्यय**				
	1 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन की योजना (आयोजनेत्तर)	250.00	197.19	235.00	235.00
	2 राज्य/जिला सहकारी संघ के गठन की योजना (आयोजना)	60.00	34.90	50.00	50.00
	योग	310.00	232.09	285.00	285.00
	महायोग व्यय		420.72	676.60	676.60

कुल वास्तविक आय व्यय वर्ष 2020–2021 राशि रू. लाखों में		
संघ स्त्रोतों से आय	शासकीय अनुदान से आय	कुल आय
303.68	118.08	421.76
संघ अंतर्गत व्यय	योजना अंतर्गत व्यय	कुल व्यय
188.63	232.09	420.72
आय का आधिक्य		1.04
कुल अनुमानित आय व्यय वर्ष 2021–2022		
संघ स्त्रोतों से आय	शासकीय अनुदान से आय	कुल आय
401.60	275.00	676.60
संघ अंतर्गत व्यय	योजना अंतर्गत व्यय	कुल व्यय
391.60	285.00	676.60

1. कोविड 19 महामारी के कारण शासन द्वारा संघ के अनुदान में कटौती की गई है। तदनुसार पुनरीक्षित बजट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
2. वर्षान्तर्गत आय में वृद्धि तथा व्ययों में मितव्ययिता के प्रयास किये जावेंगे।
3. दक्ष मानव संसाधन की प्रतिपूर्ति संस्थाओं को कराने के उददेश्य से राज्य सहकारी संघ द्वारा कंसलटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने की दिशा में प्रावधान किया गया है।
4. प्रबंधकीय मद अंतर्गत प्रावधान से अधिक राशि वेतन मद एवं कुछ अन्य मदों में व्यय की गई है। वर्षांतर्गत अनुदान लगभग एक तिहाई ही प्राप्त होने से वेतन, सेवानिवृत्ति लाभों आदि का भुगतान किया गया हैं। उपरोक्तानुसार अधिक व्यय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
5. वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के बजट की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक–4 : वर्ष 2020–21 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक पर विचार।

अप्रैल 2020 से मार्च 2021

आमद खर्च पत्रक

क्र.	मद का नाम	प्राप्तियॉ	भुगतान
1	अभिदाय एवं अंशदान	100,13,216.00	
2	आय प्रकाशन	4,35,035.00	1,500.00
3	विविध आय	34,18,456.00	5,33,657.00
4	ब्याज एवं लाभांश	42,87,411.36	
5	शासकीय अनुदान	118,07,900.00	
6	प्रशिक्षण प्रबंधन आय	106,88,938.00	
7	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन की योजना		197,18,820.35
8	राज्य/जिला सहकारी संघ के गठन की योजना		34,89,909.00
9	प्रबंधकीय व्यय	4,02,561.00	145,84,134.10
10	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	7,76,394.28	71,108.72
11	कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	2,69,000.00	4,58,203.00
12	व्यय प्रकाशन	36,180.00	8,43,146.00
13	प्रचार प्रसार		3,65,677.00
14	भवन व्यय	40,880.00	20,06,293.72
15	बचत खाता	1403,60,217.54	1424,51,437.14
16	आनलाईन खाता	46,50,932.00	46,22,223.00
17	अग्रिम कर्मचारी	1,88,870.50	1,52,606.00
18	विविध देनदारी	11,11,140.00	15,90,411.00
19	प्रशिक्षण निधि	12,000.00	41,714.00
20	वृत्तिकर देय	85,250.00	85,000.00
21	आयकर देय	6,24,145.00	6,30,243.00
22	कर्मचारी भविष्य निधि	33,61,460.00	33,61,460.00
23	परिवार पेंशन निधि	3,83,082.00	3,83,082.00
24	टीडीएस आन जीएसटी	49,783.00	50,704.00
25	शासकीय सामा0 भविष्य निधि	1,92,000.00	1,92,000.00

26	शासकीय समूह बीमा	9,600.00	9,600.00
27	भवन लाईसेंस फीस	21,600.00	21,600.00
28	शाखा समायोजन प्रशिक्षण केन्द्र	5,50,047.35	5,53,438.00
29	मुद्दती अमानत	873,24,382.00	844,84,251.00
30	कोष	8,95,518.00	
31	विविध लेनदारी	4,22,650.00	4,35,703.00
32	संदिग्ध खाता	6,000.00	1,92,160.06
33	सम्पत्तियां	8,84,088.00	21,82,632.00
34	आजीवन सदस्यता फंड	1,500.00	
35	अवकाश नगदीकरण देय	10,97,334.66	
36	कर्मचारी वेतन देय		6,51,383.60
37	देयक देय		2,53,791.00
38	मुख्यमंत्री राहत कोष(कोरोना)	62,379.00	62,379.00
	योग	**2844,69,950.69**	**2844,80,266.69**
	प्रारंभिक /अंतिम सिलक	**12,235.00**	**1,919.00**
	कुल योग	**2844,82,185.69**	**2844,82,185.69**

आय व्यय आधिक्य पत्रक वर्ष 2020–21

क्र.	आय मद का नाम	आय	व्यय	वर्षान्त पर
1	अभिदाय एवं अंशदान	100,13,216.00		**100,13,216.00**
2	आय प्रकाशन	4,35,035.00	1,500.00	**4,33,535.00**
3	विविध आय	34,18,456.00		**34,18,456.00**
4	ब्याज एवं लाभांश	42,87,411.36		**42,87,411.36**
5	कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	2,69,000.00		**2,69,000.00**
6	शासकीय अनुदान	118,07,900.00		**118,07,900.00**
7	प्रशिक्षण प्रबंधन आय	106,88,938.00		**106,88,938.00**
8	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	7,76,394.28		**7,76,394.28**
	महायोग	**416,96,350.64**	**1,500.00**	**416,94,850.64**
क्र.	**व्यय मद का नाम**	**आय**	**व्यय**	**वर्षान्त पर**
1	प्रबंधकीय व्यय	4,02,561.00	145,84,134.10	**141,81,573.10**
2	व्यय प्रकाशन	36,180.00	8,43,146.00	**8,06,966.00**
3	व्यय प्रचार–प्रसार		3,65,677.00	**3,65,677.00**
4	व्यय भवन	40,880.00	20,06,293.72	**19,65,413.72**
5	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण		71,108.72	**71,108.72**
6	कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना		4,58,203.00	**4,58,203.00**
7	विविध आय		5,33,657.00	**5,33,657.00**
8	सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन की योजना		197,18,820.35	**197,18,820.35**
9	राज्य/जिला सहकारी संघ के गठन की योजना		34,89,909.00	**34,89,909.00**
	आय का आधिक्य			**1,03,522.75**
	योग	**4,79,621.00**	**420,70,948.89**	**416,94,850.64**

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल
स्थिति विवरण पत्रक 31.3.2021

लेनदारी

मद विवरण	पिछला शेष	नामे	जमा	वर्षान्त पर शेष
(अ) सम्पत्तियाँ				
1. अन्य सम्पत्तियाँ	15,02,229.13	1,82,632.00	2,55,981.00	14,28,880.13
2. भवन भूमि भोपाल	17,293.45			17,293.45
3. भवन भूमि इंदौर	17,72,064.00			17,72,064.00
4. भवन भूमि जबलपुर	85,77,247.00			85,77,247.00
5. भवन सम्पत्ति भोपाल	39,52,882.00		3,95,288.00	35,57,594.00
6. भवन सम्पत्ति इंदौर	54,830.00		5,483.00	49,347.00
7 भवन जबलपुर	2,73,359.00	20,00,000.00	2,27,336.00	20,46,023.00
(ब) अग्रिम				
1. अग्रिम कर्मचारी	1,07,460.86	1,52,606.00	1,88,870.50	71,196.36
(स) बैंक खाता				
1. बचत खाता	30,10,029.92	1424,51,437.14	1403,60,217.54	51,01,249.52
2. आनलाइन खाता (एस.बी.आई)	45,525.92	46,22,223.00	46,50,932.00	16,816.92
(द) शाखा समा.सह.प्रशि.केन्द्र	1,94,109.73	5,53,438.00	5,50,047.35	1,97,500.38
(क) विनियोग				
1. हिस्सा	40,000.00			40,000.00
(ख) लेनदारियां				
1. विविध लेनदारी	13,48,426.64	4,35,703.00	4,22,650.00	13,61,479.64
2. मुद्दती अमानत	735,35,382.00	844,84,251.00	873,24,382.00	706,95,251.00
3. शासन से योजनाओं पर अधिक व्यय राशि लेय	34,006.82			34,006.82
4. लो.स्वा.यां.से अमानत लेय	10,000.00			10,000.00
5. सामा.भविष्य निधि	2,787.66			2,787.66
6. म.प्र.वि.मंडलसेअमानत लेय	13,500.00			13,500.00
7. छ.ग.राज्य सह.संघ रायपुर से राशि लेय	13,23,343.81			13,23,343.81
8. कर्म.परिवार पेंशन	58,501.65	3,83,082.00	3,83,082.00	58,501.65
9. वृत्तिकर(देन पक्ष को गया)	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
10 शासनको वापसी योग्य अनुदान	162.13			162.13
योग	**958,73,141.72**	**2353,50,372.14**	**2348,49,269.39**	**963,74,244.47**
अंतिम सिलक	**12,235.00**			**1,919.00**
महायोग	**958,85,376.72**	**2353,50,372.14**	**2348,49,269.39**	**963,76,163.47**

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
लेखाधिकारी	प्रबंध संचालक	प्रभारी अंकेक्षक	प्राधिकृत अधिकारी

देनदारी

मद विवरण	पिछला शेष	नामे	जमा	वर्षान्त पर शेष
(अ)कोष	170,68,266.68		8,95,518.00	179,63,784.68
(ब) देनदारियां				
शास.कर्म सामा.भवि.निधि	1,191.00	1,92,000.00	1,92,000.00	1,191.00
शास.कर्म समूह बीमा योजना	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
शास.कर्म.परि.कल्याण निधि	100.00			100.00
कर्मचारी भविष्य निधि	3,35,938.59	33,61,460.00	33,61,460.00	3,35,938.59
कर्मचारी कल्याणनिधि	1,254.80			1,254.80
जीवन बीमा (ले.प.से आया)	4,222.85			4,222.85
कर्मचारी वेतन देय	6,51,383.60	6,51,383.60		0.00
अवकाश नगदीकरण देय	12,77,632.00		10,97,334.66	23,74,966.66
देयक देय	2,53,791.00	2,53,791.00		0.00
कारपस फंड	282,47,478.00			282,47,478.00
संदिग्ध खाता	1,92,160.06	1,92,160.06	6,000.00	6,000.00
विविध देनदारी	14,25,766.16	15,90,411.00	11,11,140.00	9,46,495.16
सह.प्रशि.महा.भवन नि. निधि	190,34,963.90			190,34,963.90
भवन रखरखाव निधि	45,61,649.00			45,61,649.00
भवन निधि	159,27,000.00			159,27,000.00
आयकर लेन पक्ष से आया	7,607.00	6,30,243.00	6,24,145.00	1,509.00
वृत्तिकर (लेन पक्ष से आया)	0.00		250.00	250.00
कर्मचारी वाहन अग्रिम	352.50			352.50
आजीवन सदस्यता शुल्क(फंड)	31,12,931.00		1,500.00	31,14,431.00
प्रशिक्षण निधि	1,48,553.20	41,714.00	12,000.00	1,18,839.20
भवन लाइसेंस फीस	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
मुख्यमंत्री राहत कोष(कोरोना)	0.00	62,379.00	62,379.00	0.00
टी.डी.एस. जी.एस.टी.	4,486.00	50,704.00	49,783.00	3,565.00
आय का आधिक्य	36,28,649.38		1,03,522.75	37,32,172.13
महायोग	958,85,376.72	70,57,445.66	75,48,232.41	963,76,163.47

हस्ता/—	हस्ता/—	हस्ता/—	हस्ता/—
लेखाधिकारी	प्रबंध संचालक	प्रभारी अंकेक्षक	प्राधिकृत अधिकारी

विषय क्रमांक–5 : वर्ष 2021–22 के लेखाओं की संपरीक्षा हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1)(क) के द्वितीय परंतुक अनुसार कारोबार की जानकारी भेजने बाबत विचार

टिप्पणीः

म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1)(क) के द्वितीय परंतुक में प्रावधान है कि ''परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी बैंक और ऐसी सोसाइटियों में जहां कि राज्य सरकार ने उनकी अंश पूंजी में अभिदाय दिया हो या ऋण या वित्तीय सहायता दी हो या किसी अन्य रूप में दिए गए प्रतिदाय कि प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रयोजित कोई कारबार किया हो या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारबारों की कुल राशि पृथकतः या संयुक्ततः 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षा कराए जाने के लिए संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति अनुमोदित पैनल में से की जाएगी''

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अंके./3/2017/521दिनांक 22.6.2017 के में निर्देश दिए गए हैं कि संस्था उपरोक्त वैधानिक प्रावधान के तहत निर्धारित कारोबार की सीमा में आती है अथवा नहीं। ऐसा प्रस्ताव आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान प्राप्त संस्था है। वैधानिक प्रावधान के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है तदनुसार जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल को भेजी जाने के विचारार्थ।

विषय क्रमांक–6: वर्ष 2020–21 के आय के आधिक्य में से निधियों में हस्तांतरित की गई राशियों का अनुमोदन।

टिप्पणी : वर्ष 2020–21 के वित्तीय पत्रकों में उपलब्ध आय के आधिक्य में से राशियां विभिन्न मदों में हस्तांतरण कर प्रावधान किया गया है जो निम्नानुसार है–

क्रमांक	मद	राशि	औचित्य
1	ग्रेच्युटी कोष	5.00 लाख	अधिनियम के प्रावधानानुसार
2	प्रशिक्षण निधि	12.00 हजार	अधिनियम के प्रावधानानुसार

अतः उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का कार्योत्तर अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक–7: सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल से भवन विवाद के संबंध में

टिप्पणी :

अ– प्रदेश में सहकारी प्रशिक्षण में ICM की भूमिका को अपर्याप्त मानते हुए संघ भवन का निर्माण म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग की योजना अनुसार ICM से पृथक संघ तत्वावधान में एक सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने हेतु कराया गया।

ब– संघ के वर्तमान भवन में ICM का संचालित होना महज एक सुविधा है जो NCUI/ NCCT को सहकारी सहयोग की भावना के तहत प्रदान की गई है जिस पर उनके व्दारा स्वामित्व एवं अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार का दावा किया जाना मान्य नहीं है।

स– ICM के संचालन हेतु किया गया अनुबंध संघ एवं NCUI के मध्य निष्पादित है जिसके परिण ामस्वरूप भवन विवाद का समाधान केवल दो पक्षों संघ एवं NCUI के मध्य ही संभव है। NCUI से पृथक नवगठित NCCT का इस अनुबंध से कोई संबंध नहीं है इसलिए ICM के संचालन हेतु सर्वप्रथम संघ एवं NCUI के बीच निष्पादित अनुबंध को समाप्त करने की विधिवत कार्यवाही करनी होगी। तत्पश्चात संघ व्दारा नवगठित NCCT के माध्यम से ICM के संचालन बाबत विचार किया जा सकेगा।

द– ICM/NCCT व्दारा बारम्बार अनर्गल दावे, आरोप आदि लगाया जाना यह संकेत देता है कि उनके व्दारा जानबूझकर म.प्र.शासन सहकारिता विभाग व्दारा जारी दिशा–निर्देशों/निर्णयों की अवहेलना कर संघ की बहुमूल्य सम्पत्ति पर कब्जा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है।

य– संयुक्त सचिव कृषि मंत्रालय ,भारत सरकार व्दारा विवाद समाधान हेतु आयोजित बेवीनार बैठक में जारी कार्यवाही विवरण जिसमें संघ की सम्पत्ति के उपयोग पर असहमति या विवाद होने पर प्रकरण केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत करने आदि पर संघ के साथ राज्य शासन व्दारा आपत्ति की गई एवं कार्यवाही विवरण में संशोधन की मांग की गई। जिस पर एनसीसीटी/आईसीएम की ओर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है।

र– संघ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संघ के भवन को आई.सी.एम. से भवन रिक्त कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में भवन रिक्त हेतु सूचना जारी की जा चुकी है।

ल– उपरोक्त टीप से स्पष्ट है कि संघ का भवन एवं भूमि पर पूर्ण स्वामित्व है तथा उसके उपयोग में हस्तक्षेप पर संघ के अतिरिक्त किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक–8: राज्य सहकारी विपणन संघ से अंशदान भुगतान संबंधी प्रकरण न्यायालय से वापिस लेने के संबंध में विचार।

टिप्पणी :

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ की मांग पर संघ को देय अंशदान का भुगतान वर्ष 1994–95 से लम्बित था। बार बार पत्र लिखे जाने एवं आयुक्त सहकारिता व्दारा भी निर्देशित किये जाने के बाद भी विपणन संघ अधिनियम एवं नियम में निर्धारित एवं उनके अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों में प्रावधानित अंशदान राशि का भुगतान नहीं कर रहा था। इसलिए माननीय न्यायालय आयुक्त सहकारिता के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। विपणन संघ व्दारा उक्त समय को उनके अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों में प्रावधानित अंशदान राशि का भुगतान बाबत लिखित सहमति दिये जाने से भुगतान की दशा में न्यायालयीन प्रकरण वापिस लेने की सहमति दी गई है जिससे सहकार की भावना कायम रहे । दोनों संस्थान न्यायालयीन कार्यवाही से मुक्त रहें।

संघ द्वारा की गई कार्यवाही अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।